न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या :– 2025/115

01. सतपाल पुत्र बाबूराम निवासी बड़ा तहसील देहरा जिला कांगड़ा
02. बलदेव पुत्र बाबूराम निवासी बड़ा तहसील देहरा जिला कांगड़ा

......प्रार्थीगण

बनाम

01. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खाजूवाला ।

.... अप्रार्थी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट
निर्णय दिनांक :–07.01.26

यह प्रार्थनापत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत हुआ। प्रार्थनापत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण प्रार्थनापत्र अनुसार इसप्रकार है कि प्रार्थीगण के पिता बाबूराम पुत्र श्यामा निवासी बड़ा तहसील देहड़ा को पोंगबांध विस्थापित के तौर पर तहसील खाजूवाला के चक 1 पीडब्ल्युएम बी मु0नं0 60/43 के किला नं0 1 ता 20 की कुल 20.00 बीघा कमाण्ड भूमि आवंटन की थी जो बाद में खातेदारी दर्ज हो गई। प्रार्थीगण के पिता के फौत हो जाने पर मुताबिक वारिस प्रमाण पत्र उक्त भूमि प्रार्थीगण व भाई रमेशचंद क नाम इंतकाल सं0 82 से विरासतन दर्ज कर दी गई थी। प्रार्थीगण के भाई रमेशचन्द्र ने अपने हिस्सा पांति की 1/3 भूमि जरिये बैयनामा दिनांक 22.04.13 को विक्रय कर दी जिसका रिकॉर्ड में अंकन जरिये इंतकाल सं0 176 दिनांक 20.08.2013 को किया गया था जिसमें क्रेता गुरमीतसिंह की जाति जटसिख लिखी गई परन्तु उक्त इंतकाल का जमाबंदी में अंकन करते समय सहवन से प्रार्थीगण की जाति भी जटसिख अंकित कर दी जबकि उक्त इंतकाल या उससे पहले रिकॉर्ड में प्रार्थीगण की कोई जाति नहीं अंकित है। प्रार्थीगण की जाति राजपूत है जिसका प्रमाणपत्र संलग्न है। प्रार्थीगण इंतकाल सं0 176 का जमाबंदी में अंकन विधिवत करवाने दुरूस्त करवाने के विधिक रूप से अधिकारी है जिसकी दुरूस्ती कर प्रार्थीगण की जमाबंदी से जाति हटाई जावे तथा अंकित करनी है तो राजपूत अंकित की जाए जो न्यायहित में अति आवश्यक है। प्रार्थीगण की विरासतन प्राप्त भूमि चक 1 पीडब्ल्युएम बी मु0नं0 60/43 के किला नं0 1 ता 20 की 20.00 बीघा कमाण्ड भूमि का इंतकाल सं0 176 दिनांक 20.08.2013 का जमाबंदी में अंकन करते समय सहवन से प्रार्थीगण की जाति जटसिख दर्ज कर दी है को हटाने के आदेश कर रिकॉर्ड मुताबिक इंतकाल सं0176 दुरूस्त करने के आदेश फरमावें तथा प्रार्थीगण की जाति राजपूत दर्ज करने के आदेश फरमाने का निवेदन किया है।

सर्वप्रथम प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थीगण ने प्रार्थनापत्र साबित करने के पक्ष में जमाबंदी, इंतकाल, जाति प्रमाणपत्र, इत्यादि की प्रति प्रस्तुत की है। पत्रावली पर सुना गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाने का निवेदन किया। प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र साक्ष्य–सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज, शपथ पत्र का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व शपथ पत्र के आधार पर धारा 136 एलआरएक्ट में प्रदत प्रावधानों/शक्तियों का प्रयोग करते हुवे प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है एवं चक 1 पीडब्ल्युएम बी मु0नं0 60/43 के किला नं0 1 ता 20 की 20.00 बीघा कमाण्ड भूमि में से 2/3 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण बलदेव, सतपाल की जाति जटसिख हटाने का संशोधन आदेश किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाता है। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। अगर उक्त संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो प्रार्थीगण स्वयं जिम्मेदार होगी। तहसीलदार खाजूवाला को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें। तहसीलदार खाजूवाला आदेश मुताबिक नियमानुसार पालना/अमलदरामद करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 07.01.26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पकंज गढ़वाल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)